अपराध और शास्तियाँ से संबन्धित प्रावधान		
3.	**धारा 51.** **बाधा डालने, आदि के लिए दंड -**	जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा;या (ख) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिये गए निदेश का पालन करने से इंकार करेगा तो वह **दोषसिद्धि** पर **कारावास से,जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से , दंडनीय** होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो **दोषसिद्धि** पर **कारावास से,जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी**, दंडनीय होगा।
5.	**धारा52.** **मिथ्या दावे के लिए दंड**	जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, संन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह **दोषसिद्धि पर कारावास से,जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी** और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
6.	**धारा53.** **धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दंड**	**जो कोई**, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में **राहत पहुंचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है** या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोजन करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर **कारावास से,जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से** भी दंडनीय होगा।

7.	**धारा54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड**	**जो कोई**, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर **कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से** दंडनीय होगा ।
8.	**धारा55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध**	(1) जहां इस अधिनियम के अधीन **कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है** वहाँ विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने **विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा**, जबतक कि वह यह साबित नहीं करा देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी । (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध बिभागाध्यक्ष से भिन्न **किसी अन्य अधिकारी कि सहमति या मौनानुकुलता से किया गया है** या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है **वहाँ ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा** और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।
9.	**धारा 56- अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन के प्रति मौनानुकुलता**	**ऐसा कोई अधिकारी**, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपीत किया गया है और **जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नही करेगा या करने से इंकार करेगा** या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिये कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, **ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से,दंडनीय होगा**।
10.	**धारा 57-अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंधन के लिये शास्ति**	यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंधन करेगा तो वह ऐसे **कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनो से,दंडनीय** होगा।
11.	**धारा 58 – कंपनियो द्वारा अपराध**	(1)जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्याक्ति, जो अपराध के जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के

		लिये उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी, और साथ ही **वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंधन के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे**। परंतु इस उपधारा कि कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित कसी दंड का भागी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करा देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी । (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी कि सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है, **वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा** । स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए – (क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और (ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।
12.	**धारा59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी**	धारा 55 और धारा 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी कि पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।
13.	**धारा60. अपराधों का संज्ञान**	कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा ,– (क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार,राज्य सरकार,जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या (ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अभिकथित अपराध की ओर राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम से कम तीस दिन की सूचना दे दी है ।